न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 150/2010

आर.सी.एम.एस. संख्या:– 201 /00172

1. बुलाकीराम पुत्र नारायणराम जाति माली निवासी ग्राम रिडमलसर पुरोहितान् (शहर काजाणी) तहसील व जिला बीकानेर।

––प्रार्थी––

–बनाम–

1. बीकानेर राजकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. बीकानेर ।

––अप्रार्थी––

2. रामकिसन (फौत) पुत्र स्व. नारायणराम
2/1. तारादेवी पत्नी स्व. रामकिसन
2/2. प्रदीप पुत्र स्व. रामकिसन
} जाति माली निवासी रिडमलसर पुरोहितान्, हाल हाल शरह काजाणी तहसील व जिला बीकानेर।

3. लक्ष्मणराम (फौत) पुत्र स्व. नारायणराम
3/1. ऊर्मिला पत्नी लक्ष्मणराम
3/2. अनिल
3/3. कमल
3/4. अशोक
3/5. रामेश्वर
} पुत्रगण स्व. नारायणराम
} जाति माली निवासी पंचमुखा हनुमान मंदिर के पास, रानी बाजार, बीकानेर ।

4. नेमीचन्द पुत्र स्व. नारायणराम जाति माली निवासी रिडमलसर पुरोहितान्, हाल शरह काजाणी तहसील व जिला बीकानेर।

5. मोहनलाल (फौत) पुत्र स्व. नारायणराम
5/1. रामीदेवी पत्नी स्व. मोहनलाल
2/2. अन्नत पुत्र स्व. मोहनलाल
} जाति माली निवासी रिडमलसर पुरोहितान्, हाल शरह काजाणी तहसील व जिला बीकानेर ।

6. घनश्यामराम
7. हनुमानराम
} पुत्रगण स्व. नारायणराम जाति माली निवासी रिडमलसर पुरोहितान् हाल शरह काजाणी तहसील व जिला बीकानेर ।

8. मु. काशीदेवी पत्नी स्व. नारायणराम जाति माली निवासी रिडमलसर पुरोहितान् हाल शरह काजाणी तहसील व जिला बीकानेर ।

––प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण––

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीकानेर ।

––अप्रार्थी––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. 1955

अभिभाषक उपस्थिति:–

1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री करण सिंह तंवर, अभि[illegible] की ओर से ।
3. श्री दुलीचन्द, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] क[illegible]र से ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.25 13:55:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

निर्णय **दिनांक:– 2[illegible]9**

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है [illegible] प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 6 तादादी 2.55 हैक्टर भूमि वाके ग्राम शरह काजाणी पटवार हल्का रिडमलसर पुरोहितान् तहसील व जिला बीकानेर में स्थित है । जिसमें दो कमरे,

चारदिवारी 130 फुट X 185 फुट बनी हुई है, जिसमें एक भैंरू जी का मंदिर भी बना हुआ है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 अपने परिवार सहित रहवास कर रहे है। विवादित भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी 8 बीघा कृषि भूमि को पूरी करने की नियत से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 की भूमि में घूसना चाहता है । जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 अपनी जायदाद (उक्त भूमि) पर काबिज है । इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 9 इस आशय की जारी की जावें कि अप्रार्थी संख्या 1 व 9 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 को विवादित भूमि से ना तो बेदखल करें ना ही करावे और ना ही किसी प्रकार की कोई तोडफोड करें तथा ना ही कोई ऐसा कृत्य करे जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के अधिकारों व कब्जे काश्त पर कोई बुरा असर पड़े ।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसपर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री करण सिंह तंवर उपस्थित आकर जवाब पेश कर प्रार्थी द्वारा वर्णित कथनों का खंडन करते हुवे कथन किया कि प्रकरण में सही तथ्य यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के संयुक्त खाते में शरह काजाणी के गत खसरा नम्बर 52/40/9 में 14 बीघा 18 बिस्वा खातेदारी भूमि थी, जिसका नया खसरा नम्बर 6 बना। साथ ही कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 ने अपने धारण की वादगत भूमि में से 8 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बैय कर दी, जिसका इन्तकाल भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चढ़ चुका है। साथ ही कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 ने अपनी शेष भूमि में से 2 बीघा भूमि प्रभू सिंह पुत्र केशर सिंह को बैय कर दी तथा प्रभु सिंह ने अपनी उम्मीद शुदा 2 बीघा भूमि दलीप सिंह पुत्र गोविन्द सिंह को बैय कर दी, इस प्रकार 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 ने सज्जन सिंह को बैय कर दी तथा मौके पर कब्जा भी दे दिया । इस तरह से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के धारण में वर्तमान में एक बिस्वा भूमि भी नहीं बची है । प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 ने अपने धारण में 2.25 हैक्टेयर भूमि बतलाकर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि पर कब्जा करने की नियम से झूठा मुकदमा किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी किया, जिसमें प्रार्थी के खिलाफ चालान भी पेश हो चुका है और प्रार्थी के खिलाफ चार्ज भी लग चुका है। जिसकी निगरानी खारिज हो चुकी है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। इसके बावजूद भी यदि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो अप्रार्थी संख्या 1 को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भरी हर्जे–खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावें ।

3. प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 वादगत भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है । जो दिनांक 20.07.2009 से ही वादगत भूमि पर निवास कर रहे है। आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त खातेदारी भूमि में प्लॉट काटकर प्रार्थी की भूमि [illegible] है। आगे कथन किया कि 9 वर्षों से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जा[illegible] के कथन पर कहा कि गृह निर्माण समिति का मालिक [illegible] संख्या 1 के द्वारा नहीं लाया गया है। जहाँ त[illegible] तो शेष 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर अभी भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 का क[illegible] है। रिकॉर्ड में भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 बतौर खातेदार दर्ज है। वादगत भूमि की पैमाईश आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नहीं करवाई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो भी भूमि प्लॉट के रूप में

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.25 13:55:41 IST
Reason: SelfAttested

बेची गई है, वो मृत व्यक्तियों के नाम से इकरार नामा किया जाकर बिना उसके आरा–पासा दर्शाये प्लॉट बेचे गये है।

5. प्रार्थी की बहस के जवाब में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 ने 8 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा व रजिस्टर्ड बैयनामा अप्रार्थी संख्या 1 को बेच दी है, जिसका इंतकाल भी दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार है। आगे अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के पक्ष कोई दस्तावेजी सबूत नहीं, इसलिए प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती, यदि कर दी है, तो वह खारिज योग्य है। आगे अपनी बहस में कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि एक गलत तथ्यों से न्यायालय में आये खातेदार काश्तकार को 212 आर टी एक्ट के ताबे संरक्षण नहीं दी जावें। आगे कथन करते हुवे कहा कि एक सह–खातेदार को दूसरे सह–खातेदार के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपने कथनों के समर्थन में वकील अप्रार्थी ने RRD 1991 page 325 पेश की। साथ ही कथन किया कि न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी दिनांक 20.01.2009 से 30.09.2010 तक ही बढ़ाई गई है। उसके बाद नहीं बढ़ी हैं। आगे अपनी बहस में प्रार्थी का कहना कि गृह निर्माण समिति का मालिक कौन है, के क्रम में कथन किया कि जब प्रार्थी ने भूमि को गृह निर्माण समिति को विक्रय की है, तो उसका मालिक कौन है, यह पूछना औचित्यहीन है। आगे कथन किया कि बैयनामें में बिना पैमाईश बाद बेचान कब्जा कैसे दिया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावें।

6. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर गहनता से मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 का कहना है कि वे वादगत भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जो दिनांक 20.07.2009 से ही वादगत भूमि पर निवास कर रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 की शेष 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर अभी भी उनका ही कब्जा है। लेकिन प्रार्थी कब्जे को हमारे समक्ष साबित नहीं कर पाये है, ना ही कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य अथवा सबूत पत्रावली पर उपलब्ध है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है।

7. प्रकरण में प्रार्थी ने भी कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने संयुक्त खातेदारी भूमि में प्लॉट काटकर प्रार्थी की भूमि में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। बैयनामा पर कहा है कि गृह निर्माण समिति का मालिक कौन है, ऐसा कोई तथ्य सामने अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा नहीं लाया गया है। अपने इस कथन के क्रम में प्रार्थी पूर्व में अपने कथनों में मान चुका है कि अप्रार्थी संख्या 1 सह खातेदार काश्तकार है और वादगत भूमि में प्लॉट बेच रहा है, इस प्रकार प्रार्थी का ये कथन भी बेमायने हो जाता है, क्योंकि वादगत भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का जो हिस्सा है, वह प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 ने ही अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान किया है। जिसका इंतकाल भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने रिलीफ में अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 खिलाफ अप्रार्थी संख्या 1 व 9 [illegible] की चाही है कि उक्त वादगत भूमि से अप्राथी संख्या 1 व 9 [illegible] [illegible] चार दिवारी, कमरे आदि में कोई तोड़फोड़ करें, ना ही प्रवेश करें, [illegible] फेल करें, जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के अधिकारों पर बुरा असर पड़े। लेकिन प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 एवं अप्रार्थी संख्या 1 ये सब रिकॉर्डेड खातेदार है और एक सहखातेदार काश्तकार का अविभाजित भूमि के हर हिस्से पर उतना ही हक व हिस्सा है, जितना प्रार्थी

सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.25 13:55:41 IST
Reason: SelfAttested

व अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 का । इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनों सहखातेदार है। किसी सहखातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करने से रोके जाने बाबत् कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में साबित नहीं होता है।

8. एक अविभाजित भूमि पर एक सहखातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित करने से उसे अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना प्रबल है । अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है ।

9. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बीकानेर (शहर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.25 13:55:41 IST
Reason: SelfAttested